/

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/293/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2016, भोपाल, दिनांक 11/01/ 2016

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला –समस्त म.प्र.।

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गतहितग्राही मूलक कार्योका लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों को सरलता से उपलब्ध कराये जाने हेतु"हितैषी" (HITEISHI – HITGRAHI ENABLED TO INVEST AND SUGGEST HOUSEHOLDS for IMPLEMENTATION – CONVERGING AT THE BENEFICIARY)**कार्ययोजना के संबंध में।**

––0––

प्रदेश के 42 जिलों की 268 तहसीले सूखाग्रस्त घोषित की गयी है। जिनके अंतर्गत 225 जनपद पंचायतों की 16560 ग्राम पंचायते आती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में भारत सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार दिये जानेका प्रावधान किया गया है। जिलेवार, जनपदवार ग्राम पंचायतों की सूची संलग्न है।

प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निजी स्वामित्व की भूमि/आवासीय परिसर में अनुमत कार्यो का लाभ दिये जाने हेतु अनेक हितग्राही मूलक योजनायें क्रियान्वयन किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियो को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करने हेतु उचित व्यवस्था निर्धारित किये जाने के दृष्टिगत संलग्नक प्रारूप "हितैषी" अंतर्गत हितग्राही अपना आवेदन हितग्राही मूलक कार्य हेतु ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर सकते है, जिसमें हितग्राही मूलक कार्य में उनके खेत/आवासीय परिसर में काम करने हेतु इच्छुक अन्य जाबकार्डधारी श्रमिको की पहचान करने में भी हितग्राही योगदान दे सकते है। हितग्राही मूलक योजनाओं में प्राथमिकता निर्धारण में वर्तमान में IPPE योजना में मांगे जा रहे प्रत्युत्तर के अतिरिक्त राज्य स्तरीय उपयोजनाओं में प्राथमिकता निर्धारित करने में यह प्रयास सहायता करेगा। हितग्राही स्वयं के व्यय से या अन्य शासकीय/गैर शासकीय योजना मद से सामग्री अगर प्रयोग में लाते है तो उसका दस्तावेजीकरण के लिये भी यह प्रारूप उपयोगी होगा ताकि दोहरीकरण न हो।

हितग्राहीमूलक कार्यो के संपादन हेतु हितग्राहियो से प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत में पंजीकृत कराया जावे एवं पंजीयन कमांक की जानकारी सहित सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा पावती दी जावे। महीने के निर्धारित दिवस में सेक्टरवार आमंत्रित रोजगार संवाद दिवस में "हितैषी"

कार्ययोजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर तत्परता से कार्यवाही की जाकर संबंधित हितग्राहियों को सूचना दिया जाना सुनिश्चित करें।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत न्यूनतम 60 % व्यय कृषि एवं कृषि आधारित कार्यो पर किये जाने तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्राथमिकता से कार्य लिये जाने के भारत सरकार के निर्देश है। हितग्राहीमूलक कार्यो का लाभ ग्रामीण कृषको को सरलता से प्राप्त हो, इस हेतु ''हितैषी'' आवेदन को ''प्रियमित्र'' पत्र के साथ भूमिधारी जाबकार्डधारी कृषको को दिलाया जावे। ''हितैषी'' आवेदन पत्र म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की वेबसाइट nregs-mp.orgपर भी उपलब्ध रहेगा।

11/1/16

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./294 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2016 **भोपाल, दिनांक 11/ 01/2016**

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव महोदया, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र., ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र., ग्रामीण आजीविका मिशन।
5. राज्य समन्वयक, राजीव गांधी जल ग्रहश मिशन/स्वच्छ भारत अभियान।
6. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. संभागायुक्त, समस्त म.प्र.।
8. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
11. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

11/1/16

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हितग्राहीमूलक कार्यो की स्वीकृति हेतु "हितैषी" आवेदन पत्र

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....
जिला ....

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत मेरी निजी स्वामित्व की भूमि/आवासीय परिसर में .... कार्य स्वीकृत करने बावत।

महोदय,

मैं ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम .... का निवासी हूँ। मेरा जॉब कार्ड क्रमांक.................. हैं। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्रता श्रेणी– अजा/अजजा/बीपीएल/महिला मुखिया/विकलांग मुखिया/भूमि सुधार/इंदिरा आवास योजना/वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाभार्थी हक प्रमाण पत्र धारक/लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में से आवेदक ....श्रेणी के अंतर्गत पात्र है (प्रमाण संलग्न है)।

1. मुझे ....कार्य हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है अथवा हो रहा है।
2. मेरी निजी स्वामित्व की भूमि/आवासीय परिसर में निम्नानुसार कार्य स्वीकृत करने का विनम्र अनुरोध है, विवरण निम्नानुसार है :–

प्राथमिकता कम	प्रस्तावित कार्य का नाम	स्वयं के व्यय से सामग्री उपलब्ध कराने की सहमति	योजना/कार्यकम का नाम जिसके अभिसरण से सामग्री उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है

3. भूमि का खसरा क्रमांक .... रकबा .... हेक्टेयर
4. सिंचाई की स्थिति – सिंचित/ असिंचित
5. मिट्टी का प्रकार –...
6. मैं यह घोषणा करता हूँ कि, उक्त प्रस्तावित कार्य/कार्यो हेतु कोई भी शासकीय अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त कार्य पर मेरे साथ संलग्न सूची अनुसार जॉब कार्ड धारी श्रमिक अकुशल मजदूरी करने हेतु सहमत हैं।
7. मुझे यह ज्ञात है कि जाबकार्डधारी श्रमिको की उपलब्धता एवं ग्राम सभा में पात्र वर्ग के हितग्राहियों में सबसे पात्र होने की पुष्टि होने पर ही प्रस्तावित कार्य स्वीकृत किये जाते है।

हितग्राही के हस्ता. ....
नाम ....
डाक का पता ....
मोबाईल नं0 ....

हितग्राही द्वारा प्राथमिकता पर चयन करने हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अनुमत हितग्राही मूलक कार्य :–

1. कपिलधारा कूप/खेत तालाब/लघु तालाब/स्टापडेम 2. नंदन फलोद्यान 3. नर्सरी निर्माण 4. रेशम उत्पादन हेतु शहतूत वृक्षारोपण 5. भूमिसुधार/मेढ़बंधान 6. मीनाक्षी तालाब 7. सिंचाई हेतु वॉटर कोर्सेस/फील्ड चैनल निर्माण 8. निकटतम तालाब से गाद की ढुलाई करके बंजर भूमि पर मृदा को कवर करना/बंजर भूमि विकास 9. जल भराव क्षेत्र में निकास मार्ग निर्माण अजोला टांका 8. नॉडेप टांका/वर्मी कम्पोस्ट 8. बायोगैस 9. पशुशेड/बकरी शेड/सुअर शेड/मुर्गीशेड/संजीवक गड्ढे (तरल जैव खाद) 11. शौचालय 12. सोकपिट निर्माण 13. रिचार्ज पिट 14. इंदिरा आवास 15. मुख्यमंत्री आवास 16. मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत "हितैषी" आवेदन के तहत प्रस्तावित कार्य पर अकुशल श्रम करने हेतु सहमत श्रमिकों की सूची

क्र.	जॉब कार्ड धारी श्रमिक का नाम	जॉबकार्ड नं.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

हितग्राही के हस्ता. ....

नाम ....

कार्यालय ग्राम पंचायत ....क्लस्टर पंचायत.......................

जनपद पंचायत...........................जिला................................

महात्मा गांधी नरेगा हितेषी आवेदन की पावती

श्री ....पिता...................................निवासी ग्राम ....जाबकार्ड क्र. की निजी भूमि/आवासीय परिसर में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत .... कार्य/कार्यो की स्वीकृति हेतु "**हितेषी**" आवेदन दिनांक ....प्राप्त किया एवं कार्य के पंजीयन रजिस्टर में कमांक ....पर पंजीकृत किया।

दिनांक

सचिव/ग्राम रोजगार सहायक

ग्राम पंचायत...............................